महत्वपूर्ण

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक / आई.डी.एस.पी / 2021 / 544 भोपाल, दिनांक 19 / 04 / 2021

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
2. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।

विषयः— कोविड–19 रोगियों के संस्थागत उपचार हेतु भर्ती एवं डिस्चार्ज मापदण्ड (Admission & Discharge Protocol)

संदर्भः— संचालनालयीन पत्र क्र./आई.डी.एस.पी./2021/81 दिनांक 07/04/2021

विषयांतर्गत लेख है कि माह मार्च 2021 तीसरे सप्ताह से पुनः प्रदेश में कोविड–19 पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि परिलक्षित हो रही है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि कोविड पॉजीटिव व्यक्तियों का समुचित उपचार विभिन्न स्तरीय कोविड अस्पतालों में सुनिश्चित हो ताकि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर (DCHC) तथा डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के सामान्य आईसोलेशन बेड्स, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, एच.डी.यू. बेड्स तथा आई.सी.यू. बेड्स का तर्कसंगत उपयोग हो एवं रोगियों के क्लीनिकल स्थिति की गंभीरता अनुसार अस्पतालों के "रिसीविंग एरिया" में आवश्यकता अनुसार Triaging सुनिश्चित की जा सके।

उल्लेखनीय है कि संदर्भित पत्र द्वारा कोविड–19 रोगियों के संस्थागत उपचार हेतु भर्ती एवं डिस्चार्ज मापदण्ड स्पष्ट किए गए है। पुनः निर्देशित किया जाता है कि चिकित्सकीय निर्णय अनुसार रोगियों के विभिन्न स्तरीय उपचार हेतु डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर (DCHC) तथा डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के General Isolation beds, Oxygen supported beds, High Dependency Unit beds तथा ICU beds के उपयोग हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी निर्देशों का पालन किया जाये :–

1. कोविड–19 रोगियों के भर्ती हेतु क्लीनिकल क्राईटेरिया

- **SPO2 <94 %**
- **Respiratory Rate > 24 /min**
- **Temperature > 101° F despite antipyretics**
- **SBP < 100 mm or DBP < 60 mm**
- **Pregnant COVID positives**
- **Age > 60 with co-morbidities with symptoms**
- **Chest X-ray showing lobar/multi lobar bilateral lung consolidation**
- **CT Chest showing multi lobe distribution with GGO, Crazy paving, consolidation of air Spaces**
- **Symptoms/signs of Septic Shock**

2. सामान्य आईसोलेशन बेड्स हेतु भर्ती मापदण्ड

- ऐसे कोविड पॉजीटिव रोगी जिनके पास होम आईसोलेशन हेतु उपयुक्त व्यवस्था न हो।
- मंद लक्षण वाले रोगी जिन्हें ऑक्सीजन एवं कड़ी चिकित्सकीय निगरानी की आवश्यकता न हो।
- को–मोर्बिडिटी युक्त कोविड पॉजीटिव रोगी जिनकी क्लीनिकल स्थिति स्थिर हो।
- SPO2 ≥ 95% हो एवं ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता न हो।

3. **ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हेतु भर्ती मापदण्ड**
   - ऐसे कोविड पॉजीटिव रोगी जिनका SPO2 स्तर 90-94% हो तथा <5 लीटर/मिनट के मान से ऑक्सीजन फ्लो रेट को नियंत्रित करने की आवश्यकता हो।
   - ऑक्सीजन प्रदायगी हेतु Simple Face Mask, Nasal Canula/Prongs द्वारा ऑक्सीजन थेरेपी दी जाने की आवश्यकता हो।
   - उपचार उपरान्त स्थिर क्लीनिकल स्थिति वाले को–मोर्बिडिटी युक्त कोविड पॉजीटिव रोगी।
4. **हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट बेड्स हेतु भर्ती मापदण्ड**
   - ऐसे कोविड पॉजीटिव रोगी जिनका SPO2 स्तर <90% हो एवं ऑक्सीजन की प्रदायगी उच्च फ्लो दर > 5 लीटर प्रति मिनट की दर से देने की जरूरत हो।
   - Non-Rebreathing Mask अथवा Venturi mask द्वारा ऑक्सीजन थेरेपी देने की आवश्यकता हो।
   - को–मोर्बिडिटी युक्त कोविड पॉजीटिव रोगी जिनकी क्लीनिकल स्थिति की लगातार निगरानी की आवश्यकता हो।
5. **आई.सी.यू. बेड्स हेतु भर्ती मापदण्ड**
   - ऐसे कोविड पॉजीटिव रोगी जिन्हें अति उच्च दर पर ऑक्सीजन सपोर्ट की Non Invasive Ventilator (NIV), Ventilator अथवा HFNC support की आवश्यकता हो।
   - गंभीर जानलेवा को–मोर्बिडिटी युक्त कोविड पॉजीटिव रोगी।
6. **कोविड–19 रोगियों के भर्ती हेतु डिस्चार्ज मापदण्ड**
   - कोविड पॉजीटिव रोगी का ऑक्सीजन सेचुरेशन निरन्तर 3 दिवस तक बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के >95% SPO2 होने तथा बुखार कम करने की दवा के बगैर बुखार न होने पर चिकित्सकीय परामर्श अनुसार डिस्चार्ज किया जा सकता है।
   - ऐसे रोगी घर पर आगामी 7 दिवस तक होम आईसोलेशन में रह कर अपने स्वास्थ्य की स्व–निगरानी करेंगे।

(आकाश त्रिपाठी)
स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/आई.डी.एस.पी/2021/545 भोपाल, दिनांक 19 /04/2021

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग,वल्लभ भवन, म.प्र।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
7. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, म.प्र।
8. प्रभारी, कोविड–19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मध्यप्रदेश